स0 स0 14/एम 11–1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवशी नगर,
पटना–800023 । पटना, दिनाक .

विषय– मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध मे।

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **01.04.2026** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमाक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	अशु कुमार पिता– विजय राम ग्राम– शेखपुरा माली टोला पो0– बी0 भी0 कॉलेज थाना– हवाई अड्डा जिला– पटना	ट्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			50,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि 50,000/– (**पचास हजार**) मात्र का क्रास चेक स0 002627 ... . मूल रूप मे सलग्न ।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

5 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 994(14) पटना, दिनाक 9/4/2026

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबधित मरीज के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/4/26

निदेशक प्रमुख

स0 सं0 14/एम 11–1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

अधीक्षक,
महावीर कैसर सस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना–801505

पटना, दिनांक..

विषय–''**मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **01.04.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो मे
1	इन्दु देवी पति–नटवर लाल मिश्रा ग्राम–दिलवारगज वार्ड 10 पो0–किशनगंज थाना+जिला किशनगंज एम0सी0एस–जी0 10334	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	माधुरी देवी पति–चुनचुन सिंह ग्राम–बादपुर पो0–मालपुर थाना–मराची जिला पटना एम0सी0एस–जी0 11634	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	सुनैना देवी पति–महेन्द्र प्रजापति ग्राम–तरार 09 पोस्ट–तरार थाना–दाउद नगर जिला–औरगाबाद एम0सी0एस–जी0 14024	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	अराध्या पटेल पिता–हरदेव कुमार ग्राम दया बीगहा पो0–भैजरा थाना–वेन जिला नालदा एम0सी0एस–जी0 11944	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	सल्लाउदीन कुरैशी पिता–सुकत कुरैशी ग्राम–दरगाह रोड पो0–गोपालगंज थाना+जिला गोपालगज एम0सी0एस–जी0 13071	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	सुरूची कुमारी पिता–रामनाथ राम ग्राम–सरोडीह वार्ड 4 पो0–घोरडीहा थाना–करगहर जिला रोहतास एम0सी0एस–जी0 11300	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	महादेव राम पिता–विष्णुदेव राम ग्राम–डिहरी पो0–पैन थाना+जिला–शेखपुरा एम0सी0एस–जी0 13018	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	बिपिन बिहारी पिता–विद्या नन्द मेहता ग्राम–चम्पानगर पो0–बनैली थाना–चंपा नगर जिला पूर्णिया एम0सी0एस–जी0 13157	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	कुशेश्वर झा पिता–अनत झा ग्राम–सीतापुर वार्ड 13 पो0–सीतापुर थाना वीरपुर जिला–सुपौल एम0सी0एस–जी0 13183	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	परमेश्वर यादव पिता–सीता राम यादव ग्राम–सरोज बेला पो0–सरोज बेला थाना–मरौना जिला सुपौल एम0सी0एस–जी0 13795	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	लखीन्द्र राम पिता–स्व0 जागेश्वर राम ग्राम–खानपट्टी पो0–रसुलपुर फतह थाना–महुआ जिला वैशाली एम0सी0एस–जी0 9113	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	राज दुलारी देवी पति–राज गोवन्द सिह ग्राम–रमनी बिगहा पो0–हजरत साई थाना–धनरूआ जिला पटना एम0सी0एस–जी0 12846	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	रीतुराज कुमार पिता–रामजी प्रसाद चौरसीया ग्राम–रामपुरवा बाजार पो0 अरेराज थाना–गोविन्दगंज जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस–जी0 13249	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	देवेन्द्र सिह पिता–राजो सिह ग्राम–घुरिहा पो0–हिसुआ थाना हिसुआ जिला–नवादा एम0सी0एस–जी0 11167	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	राजेश कुमार मेहता पिता–सुकदेव प्रसाद मेहता ग्राम–राम नगर पो0–पूर्णिया थाना सहायक मरगा जिला–पूर्णिया एम0सी0एस–जी0 12186	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	अमरेश कुमार पिता–चुन्नु साह ग्राम–थाना रोड हाजीपुर पो0–खगडिया थाना+जिला खगडिया एम0सी0एस–जी0 8776	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	बच्चिया देवी पति–राम ज्ञान महतो ग्राम–नागदह पो0–नागदह थाना–सिघौल ओ0पी0 जिला–बेगुसराय एम0सी0एस–जी0 12563	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	आशा देवी पति–शकर पटेल ग्राम–बाजितपुर डुमरी पो0–नयागज थाना सहदेई ओ0पी0 जिला–वैशाली एम0सी0एस–जी0 9973	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	पवन देवी पति–देवेन्द्र राय ग्राम–लक्ष्मी सागर पोस्ट–भौआडा थाना–टाउन जिला–मधुबनी एम0सी0एस–जी0 2051	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	भुषण चौहान पिता–पोखराज चौहान ग्राम–हजरतपुर टोला पो0–नरहट थाना–नरहट जिला नवादा एम0सी0एस–जी0 12825	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	देव नारायण मडल पिता– कारू मडल ग्राम–एकचारी दियारा पो0–एकचारी दियारा थाना–एकचारी जिला–भागलपुर एम0सी0एस–एफ 98499	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	नगीना देवी पति–बसंत पासवान ग्राम–कठौतीया वार्ड 5 पो0–दिवानिया थाना–धनगाई जिला–गया एम0सी0एस–जी0 12752	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	रेणु देवी पति–सुरेन्द्र साव ग्राम–पकडी पो0–भौड थाना खैरा जिला जमुई एम0सी0एस–एफ 13698	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	पुजा देवी पिता–निर्भय कुमार सिंह ग्राम+पो0–भटहॉ थाना–श्यामपुर जिला–शिवहर एम0सी0एस–जी0 11968	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	सगम कुमार पिता–भरोसा कुमार सिह ग्राम–दिलिया पो0 कारवा थाना–उदवत नगर जिला–भोजपुर एम0सी0एस–जी0 12892	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	नेसार अहमद पिता–मो0 हसन ग्राम–छाता टोला हाता पो0–छपिया बुजुर्ग थाना–हुसैनगज जिला–सीवान एम0सी0एस–जी0 10770	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	मो0 नौशाद पिता–स्व0 अब्दुल जफर ग्राम–रहमत कोलनी पोस्ट–कटिहार थाना–कटिहार जिला–कटिहार एम0सी0एस–जी0 13669	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	धीरज कुमार पिता–कमलेश कुमार सहनी ग्राम–सरैया पो0–गुलवारा मधुबन थाना–मधुबन पी0एस0 जिला–पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस–जी0 11868	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	इन्द्रदेव यादव पिता–बासुदेव यादव ग्राम–पुरैनी पोस्ट–कुहिला थाना–थाली जिला नवादा एम0सी0एस– जी0 11182	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	शकुन्ती देवी पति–इन्द्रदेव पासवान ग्राम–दुधैला पो0–धमौल थाना–पकरी बरावा जिला नवादा एम0सी0एस– जी0 13369	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	सुनीता देवी पति अशोक सहनी ग्राम–शेखा टोला पो0–एकम्बा थाना–छौडाही ओ0पी0 जिला बेगुसराय एम0सी0एस– जी0 3644	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	मजुला देवी पति–नरेश मडल ग्राम–कटोरिया पो0–धनरूआ थाना–रसलपुर जिला–भागलपुर एम0सी0एस– जी0 11135	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	शाहजहा खातुन पति–सहीद खान्न ग्राम– चकवा पो0–चकई थाना–धनगाई जिला–भोजपुर एम0सी0एस– जी0 13394	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	किलिप कुमार गणेश पिता–खेखारी गणेश ग्राम–कददुभिट्टा पो0–जियापोखर थाना जियापोखर जिला–किशनगज एम0सी0एस– जी0 12130	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	राधिका देवी पति–महेश राम ग्राम–धनौती पो0–धनौती थाना–दरौदा जिला–सीवान एम0सी0एस– जी0 12507	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	राहुल कुमार पिता–सरयुग ठठेरी ग्राम–बराडीह का टोला आतासराय पोस्ट–इस्लामपुर थाना–इस्लामपुर जिला नालदा एम0सी0एस–जी0 12366	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	रेखा देवी पति–छेदी साह ग्राम–मोरा इकराहा पो0–चौरहा थाना–शकरपुर जिला मधेपुरा एम0सी0एस–जी0 8147	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	मालती देवी पति–शंकर तुरी ग्राम–चादन वार्ड 7 पोस्ट–चादन थाना–चांदन जिला–बाका एम0सी0एस–एफ 10430	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	उर्मिला देवी पति–विनय मोची ग्राम–मैनामठ पो0–मोदनगज थाना–घोषी जिला–जहानाबाद एम0सी0एस–जी0 13708	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	मिथलेश देवी पति–नरेश दास ग्राम–पैठान कवई वार्ड 07 पो0–पैठान कवई थाना–मनीगाछी जिला–दरभंगा एम0सी0एस–जी0 13805	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	स्मिता देवी पति–अनिल शर्मा ग्राम+पो0–बन्द्वार थाना निमाचदुपुरा जिला–बेगुसराय एम0सी0एस–जी0 11380	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	कृष्ण पडित पिता–लाछो पडित ग्राम–खनखनापुर पाचू हिसुआ पोस्ट+थाना–हिसुआ जिला नवादा एम0सी0एस–जी0 13543	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	बौधा उराव पिता–बीचा उरांव ग्राम–बीरपुर पो0–पोखरिया थाना–मुफस्सिल जिला–पूर्णिया एमसीएसनं0–जी 12187	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	राजेन्द्र राम पिता–स्व0 रूपलाल राम ग्राम–कच्ची तालाब नियर सूर्य मदिर गर्दनीबाग पो0–जी0पी0ओ0 थाना–गर्दनीबाग जिला–पटना एमसीएसनं0–जी 14079	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	बिपिन पासवान पिता–बद्री पासवान ग्राम–नौला पो0–नौला थाना–बीरपुर पी0एस0 जिला बेगुसराय एम0सी0एस–जी0 11842	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	कौशल्या देवी पति–वादन राय ग्राम–मानपुर पोस्ट–कटसा थाना–भेल्दी जिला–सारण एम0सी0एस–जी0 14191	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	जैतुन खातुन पति–मा0 कासीम ग्राम–गौरा पोस्ट–पहरपुर थाना–अगिआव जिला–भोजपुर एम0सी0एस–जी0 11150	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	योगेन्द्र शर्मा पिता–किशुनदेव शर्मा ग्राम–शर्मा टोला पोस्ट–लछमनियॉ थाना–बलुआ बाजार जिला–सुपौल एम0सी0एस–जी0 13308	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	द्रोपदी देवी पति–राम पुकार साह ग्राम+पोस्ट–गोबरौरा थाना–खजौली जिला–मधुबनी एम0सी0एस–जी0 13175	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	दिनेश शर्मा पिता–रामधनी शर्मा ग्राम–अर्वा कोठी पो0–नगरा थाना नगरा जिला–सारण एम0सी0एस–जी0 12513	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	गणेश बिन्द पिता–भरत बिन्द ग्राम–सुजान बीगहा पोस्ट–मालती थाना–अस्थावा जिला नालंदा एम0सी0एस–जी0 8660	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	मोनिका देवी पति–विजय कुमार ग्राम–बैरिया पो0–डमरापुर थाना–सहोदरा जिला–प0 चम्पारण एम0सी0एस–जी0 13014	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	नबाब लाल राय पिता–स्व0 गुरूदेव राय ग्राम–कैला जलालपुर पो0–सलेमपुर डुमरिया थाना–कटरा ओ0पी0 जिला–वैशाली एम0सी0एस–जी0 6246	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

54	उर्मिला देवी पति–प्रकाश महतो ग्राम–बारी टोला पो0–बानु छापर थाना–मु0 बेतिया जिला–प0 चम्पारण एम0सी0एस–जी0 11285	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	अनुज कुमार सिन्हा पिता–शिव शंकर प्रसाद ग्राम–मछरियावॉ पो0–बाकीपुर मछरियावा थाना–फतुहा जिला पटना एम0सी0एस–जी0 11584	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	कान्ति देवी पति–हरिन्द्र महतो ग्राम–जमसड वार्ड 8 पो0–जमसड बाजार थाना–उचकागाव जिला–गोपालगज एम0सी0एस–जी0 10006	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	उमेश प्रसाद पिता–स्व0 किशुन राम ग्राम–भरेती पो0–वजीरगज थाना वजीरगंज जिला–गयाजी एम0सी0एस–जी0 10653	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	मजु देवी पति–कैलाश साव ग्राम–सरैया सोनौत पोस्ट–गोगा थाना–मुफसिल जिला–गयाजी एम0सी0एस–जी0 14512	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	रूपा देवी पति–लक्ष्मी साह ग्राम+पो0–पोठीया बाजार थाना–पोठीया जिला–किशनगज एम0सी0एस–जी0 12055	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	राम जतन सिह पिता–सूर्यदेव सिह ग्राम–नेहुटा पोस्ट–रजोई बिजोई थाना–मुफ्फसील जिला–औरगाबाद एम0सी0एस–जी0 12936	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

61	रामपति देवी पति–शिवजी सिह ग्राम–गलचौर पो0–सरैया थाना–कृष्णघर जिला–भोजपुर आरा एम0सी0एस–जी0 12562	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	नीलु देवी पति–मिथलेश पटेल ग्राम+पो0 मराची थाना–पुनपुन जिला–पटना एम0सी0एस–जी0 3956	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	शिवेन्द्र विश्वास पिता–बालदेव विश्वास ग्राम+पो0–खरहिया थाना–अमौर जिला पूर्णिया एम0सी0एस–जी0 10164	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	परी देवी पति–महेन्द्र प्रसाद ग्राम–सोगरा पोस्ट–सोधी थाना–बुनियादगंज जिला–गया एम0सी0एस–जी0 5621	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	अशोक चौधरी पिता–बिशुनदेव चौधरी ग्राम–लोहिया नगर पो0–सुहिरद नगर थाना लोहिया नगर ओ0पी0 जिला–बेगुसराय एम0सी0एस–जी0 14414	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	लैसो देवी पति–गुनान्द सिह ग्राम–जल्लाहरिरामपुर पो0–प्राणपुर थाना–प्राणपुर जिला–कटिहार एम0सी0एस–जी0 10389	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	उषा देवी पति–रामप्रीय ठाकुर ग्राम–हेमजा पो0–रामपुर डुमरा थाना–पचमहला जिला–पटना एम0सी0एस–जी0 12778	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

68	अरूण कुमार पिता–राम कुमार प्रसाद ग्राम–दिवान मोहल्ला पाती की बाग पो0–झाउगंज थाना खाजेकला जिला–पटना एम0सी0एस–जी0 13735	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
69	मदन मडल पिता–अनुप लाल मडल ग्राम–लीलाघाट बिन्द टोली पोस्ट+थाना–फलका जिला–कटिहार एम0सी0एस–जी0 11748	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	राम विलास साह पिता–सरयुग साह ग्राम+पो0–सुभा थाना–अलौली जिला–खगडिया एम0सी0एस–जी0 11985	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	कान्ती देवी पति–सरयुग साव ग्राम–भेलवाटाड बरसोत पो0–चौबे थाना सिरदला जिला–नवादा एम0सी0एस–जी0 13693	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	बबीता देवी पति–अमरेन्द्र उपाध्याय ग्राम–मौडिहै पोस्ट–बराव कला थाना–दरीहट जिला–रोहतास एम0सी0एस–जी0 13262	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
73	अशोक सिह पिता–कपिलदेव राय ग्राम–बगरा पो0–सोहागपुर थाना–हथुआ जिला–गोपालगज एम0सी0एस–जी0 13440	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
74	उषा देवी पति–हृदया शर्मा ग्राम–हरिहरा पो0–कमलाकात करारिया थाना–फुलवरीया जिला–गोपालगंज एम0सी0एस–जी0 11747	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

75	आरती देवी पति–अनिल ग्राम+पो0–संठी थाना–रघुनाथपुर जिला–सीवान एम0सी0एस–जी0 14096	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
76	प्रियंका कुमारी पति–निरजन कुमार ग्राम–गॉधी नगर पो0–पसराहा थाना–पसराहा जिला खगडिया एम0सी0एस–जी0 12167	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	सतोष पासवान पिता–स्व0 गनेशी पासवान ग्राम+पो0–बीहट थाना–बरौनी पी0एस0 जिला–बेगुसराय एम0सी0एस–एफ 8025	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	रविन्द्र सिह पिता–रामतार सिह ग्राम–भदसरी पो0–तेज बिगहा थाना काको जिला जहानाबाद एम0सी0एस–जी0 12767	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	बिपिन कुमार पिता–रामदेव पासवान ग्राम–महथ नगर बरमसीए पो0–कटिहार थाना+जिला कटिहार एम0सी0एस–जी0 13119	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	तबस्सुम पिता–मो0 फिरोज ग्राम–मोमिन टोला पो0–पुरैनी थाना–जगदीशपुर जिला–भागलपुर एम0सी0एस–जी0 13279	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	कपिलदेव प्रसाद पिता–स्व0 महेश साह ग्राम–डिभियॉ पो0–डिभियॉ थाना–करगहर जिला रोहतास एम0सी0एस–एफ 94794	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

82	चमेली देवी पति–सुर्यदेव यादव ग्राम–करमा पो0–गुरारू थाना–कोच जिला गया एम0सी0एस–जी0 14484	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
83	दीपा देवी पति–स्व0 सुबोध महतो ग्राम–काशीपुर पो0–समस्तीपुर थाना नगर जिला–समस्तीपुर एम0सी0एस–जी0 13697	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	जफर खान पिता–मुसाफिर खान ग्राम–कुसियारी पोट–छोहर थाना–फलका जिला कटिहार एम0सी0एस–जी0 14309	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	पंकज कुमार पिता–राजदेव मिस्त्री ग्राम–सोहैपुर पो0–सोहैपुर थाना–मुफसिल जिला–गया एम0सी0एस–जी0 7020	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	अजय कुमार पिता–दशरथ मेहता ग्राम–हरेली पो0–उदाकिशुनगज थाना–उदाकिशुनगज जिला–मधेपुरा एम0सी0एस–जी0 11656	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
87	सुनिता देवी पति–विजय प्रसाद ग्राम–पकडीदयाल पो0–पकडीदयाल थाना–पकडीदयाल जिला–पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस–जी0 7652	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
88	उमेश चौधरी पिता–महेन्द्र चौधरी ग्राम–मलकौनिया पो0+थाना–'पचपकडी जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस–जी0 8285	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

89	सीता देवी पति–विनोद प्रसाद यादव ग्राम+पो0–पचपकडी थाना–ढाका पी0एस0 जिला–पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस–जी0 13334	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
90	अनारकली देवी पति–हिरालाल यादव ग्राम–जैसिहपुर चीलराव पो0–जैसिघपुर थाना–तुरकौलीया जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस–जी0 10260	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
91	राज कुमार महतो पिता–स्व0 जगलाल महतो ग्राम–चकवीर पो0–गोरौल थाना–फकुली ओ0पी0 जिला–मुजफ्फरपुर एम0सी0एस–जी0 5576	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
92	आकाश चौबे पिता– शिव बिहारी चौबे ग्राम– मझौली पो0– बिहिया थाना– बिहिया जिला– भोजपुर एमसीएस नं0– जी 11597	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
93	अर्जुन राम पिता– हरी लाल राम ग्राम+पो0– खरगी तिरासी थाना– गुगौर जिला– खगडिया एमसीएस न0– एफ 41751	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			74,60,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 74,60,000/- **(चौहत्तर लाख साठ हजार)** के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002628 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 **3601018437** खाता धारक का नाम–**'महावीर कैंसर इंस्टीच्युट एडं रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट,** खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम–**सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया,** शाखा का नाम –**चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना** RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को** वापस किया जाय। **मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 973(14) पटना, दिनाक 09/4/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002628 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को **सभी संबंधित मरीजो को** सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/4/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
इन्दिरा गाधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना–14 ।

पटना, दिनांक. . . ..

विषय– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **01.04.2026** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	बमबम कुमार पिता– रामचद्र सिह ग्राम– गरसडा पो0– कछियाना थाना– रामगढ चौक जिला– लखीसराय सीआर न0– 108112503255595	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	मीरा कुमारी पति– नीतिश कुमार ग्राम+पो0– एकौना थाना– बडहरा जिला– भोजपुर सीआर न0– 108112501060177	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	राजीव रजन पिता– स्व0 गोपी रमन दास ग्राम– त्रिशूल विहार रूकनपुरा पो0– बी0 वी0 कॉलेज थाना– रूपसपुर जिला– पटना सीआर न0– 10811260023941	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	शर्मीला देवी पति– उमेश राय ग्राम– बिशुनपुर पहाडपुर पो0– शाहपुर उण्डी थाना– शाहपुर पटोरी जिला– समस्तीपुर सीआर न0– 10811230046974	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	शम्भू नारायण पाण्डेय पिता– जगदीश पाण्डेय ग्राम– नेतवार पो0– बलाओं थाना– दरौली जिला– सिवान सीआर न0– 108112600093222	कैंसर रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
6	राजमणि देवी पर्ति– कृष्णा सिह ग्राम– हुरका पो0+थाना– दरिहट जिला– रोहतास सीआर न0– 108112402661819	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	नदकिशोर यादव पिता– धर्मनाथ यादव ग्राम– पकवलिया पो0– रतनपुरा थाना– महाराजगंज जिला– सिवान सीआर न0– 108112600408006	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			6,30,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,30,000/– **(छः लाख तीस हजार)** के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सख्या– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002628 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0–**503 2011 9556** खाता धारक का नाम–**"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना"**खाते का प्रकार–चालु,बैक का नाम–**इंडियन बैंक,** शाखा का नाम–आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड स0 IDIB000i507 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. **गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।**

5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,**

शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 974(14) पटना, दिनाक 9/4/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002628 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि–लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/4/26

निदेशक प्रमुख

सं0 स0 14/एम 11–1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
जीवक हार्ट अस्पताल एव शोध संस्थान प्रा0 लि0,
ककडबाग, पटना–20

पटना, दिनांक .....

विषय– "**मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **01.04.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	बुधदेव प्रसाद पिता– खरगसेन महतो ग्राम– बदुरबन्ना पो0– सोहसराय थाना– रहुई जिला– नालदा	हृदय रोग पीटीसीए + स्टेन्ट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	राजकिशोर तिवारी पिता– देवनदन तिवारी ग्राम+पो0– सिसई थाना– गोरेयाकोठी जिला– सिवान	हृदय रोग सीएबीजी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
3	विक्की कुमार सिंह पिता– जय गोविन्द सिह ग्राम+पो0– हरपुर बेलवा थाना– महुआ जिला– वैशाली	हृदय रोग पीटीसीए	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
4	अनिल कुमार सिह पिता– कमलेश्वर सिह ग्राम– खेमनीचक बाईपास रोड नियर विशाल मेगा माट सपतचक नई जगनपुरा पो0– न्यु जगनपुरा थाना– रामकृष्णा नगर जिला– पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।

5	संतोष कुमार पिता– कृष्ण देव यादव ग्राम– रतनपुर पो0– बेगूसराय थाना– रतनपुर जिला– बेगूसराय	हृदय रोग एमभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
6	रीना कुमारी पति– संजीव कुमार ग्राम– अकौना पो0– खैना थाना– भगवानगज जिला– पटना	हृदय रोग एमभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
7	रंजू देवी पति– चंद्रमौली प्रसाद ग्राम– हसनचक पो0– बहरवा थाना– बाढ जिला– पटना	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	अभिजीत कुमार पिता– जवाहर पासवान ग्राम– रौना बाजार पो0– रौना थाना– बेलागज जिला– गयाजी	हृदय रोग एएसडी	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			10,05,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,05,000/– **(दस लाख पाँच हजार)** रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को ''मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष'' खाता स0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 00262 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 165902000000041 खाता धारक का नाम–''**निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना**'' खाते का प्रकार– चालू, बैक का नाम–**इन्डियन ओबरसीज बैंक**, शाखा का नाम–**कंकड़बाग, पटना**(1659) RTGS/IFSC कोड स0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त ''बिहार लोक माग वसूली अधिनियम'' के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय**

अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक, प्रमुख

ज्ञापांक 975(14) पटना, दिनांक 9/4/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0..002628..की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि–लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/4/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान,
फुलवारीशरीफ, पटना–801505

पटना, दिनाक ....

विषय – **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनाक **01.04.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	चिता देवी पति– रामजी राय ग्राम+पो0– चद्रपुरा थाना– इसुआपुर जिला– सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	बिनोद कुमार पिता– उमेश राय ग्राम– बिशुनपुर पो0– बन्धु छपरा थाना– बडहरा जिला– भोजपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	अमित कुमार पिता– प्रमोद राय ग्राम– पुर्ख्यौली वार्ड 05 पो0– पुर्ख्यौली थाना– लालगज जिला– वैशाली	कैसर/दयूमर	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	विधा महतो पिता– चौकी महतो ग्राम– बहेरवागाछी वार्ड 10 पो0+थाना– नयागाव जिला– सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मोहन प्रसाद पिता– भोला मडल ग्राम– शाहाबाद वार्ड 24 पो0– गगापुर थाना– सुलतानगज जिला– भागलपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	शाहीन खातून पति– मो0 शमीम ग्राम– शाह की इमली वार्ड 64 पो0– पटना सिटी थाना– खॉजेकला जिला– पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	नदनी कुमारी पिता– बिरेन्द्र सिह ग्राम– सोनवर्षा वार्ड 01 पो0– सोनवर्षा थाना– नावानगर जिला– बक्सर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	कमलेश कुमार पिता– स्व0 अष्टमी प्रसाद ग्राम+पो0– सोनवर्षा थाना– काराकाट जिला– रोहतास	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	बबिता देवी पति– तारकेश्वर राय ग्राम– लोदीपुर वार्ड 02 पो0– ब्यापुर थाना– मनेर जिला– पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	नंदनी कुमारी पिता– सजय कुमार ग्राम– नरूा टोला राघोपुर पो0+थाना– बख्तियारपुर जिला– पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	रितिका कुमारी पिता– विनोद कुमार ग्राम– पाडेचक पो0+थाना– शकुराबाद जिला– जहानाबाद	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	प्रीति कुमारी पिता– तुलसी दास ग्राम– नरावॉ वार्ड 09 पो0– बरावॉ थाना– पाली जिला– जहानाबाद	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

13	अकशा प्रवीन पिता– मो0 रिजवान हबीबी ग्राम– मचितवा गोपालपुर वार्ड 13 पो0– मस्तीचक थाना– दरियापुर जिला– सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	चचल कमारी पिता– त्रिभुवन प्रसाद ग्राम– महानाजगंज वार्ड 16 पो0+थाना– रफीगज जिला– औरगाबाद	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	बीतशोक दासगुप्ता पिता– सरल दासगुप्ता ग्राम– बालाजी नगर ए जी0 कॉलोनी खगौल रोड पो0– दानापुर कैट थाना– दानापुर जिला– पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	सिद्धि देवी पति– बिनोद कमार लोहानी ग्राम– झडा चौक मेन रोड वार्ड 03 पो0– बरबीघा थाना– मिशन जिला– शेखपुरा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	शिवम कुमार रजक पिता– सुनील कुमार रजक ग्राम– ओलापुर पो0+थाना– पीरपैती जिला– भागलपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	सुमित्रा देवी पति– रामदयाल सिह ग्राम– बासडीह पो0– मदारपुर थाना– भेल्दी जिला– सारण	हृदय रोग डीवीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
19	विजय प्रसाद पिता– केशव साव ग्राम+पो0– बरनी थाना– धनरूआ जिला– पटना	हीप रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
20	सजू देवी पति– सुनील राय ग्राम– मसूरपुर पो0+थाना– सराय जिला– वैशाली	हीप रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।

21	बिजलावती देवी पति– मुकेश सिह ग्राम– सुल्तानगज पो0– फुलवरिया थाना– अमनौर जिला– सारण	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
22	योगेन्द्र यादव पिता– सिगेश्वर यादव ग्राम– दलीसमनचक पो0– भटवाव थाना– बाढ जिला– पटना	नी रिप्लेसमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
23	गुलशन खातून पति– मो0 अख्तर ग्राम– लक्ष्मीपुर सरौजी पो0– सरौजा थाना– बीरपुर जिला– बेगूसराय	हीप रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
24	मुन्नी देवी पति– भोला चौधरी ग्राम– नया जान टोला राजेंद्र कॉलेज मोरे पो0+थाना– भगवानबांजार जिला– सारण	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
25	सुभाष कुमार सिंह पिता– उपेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम– नदगोला पो0– पथरघट्टा थाना– अतीचक जिला– भागलपुर	हीप रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
26	उमेश कुमार पिता– विशेश्वर प्रसाद ग्राम– बुधौली पो0+थाना– शेखपुरा जिला– शेखपुरा	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
27	परमानद यादव पिता– राम लखन यादव ग्राम– बथौली पो0– तिलरथ थाना– बरौली जिला– बेगूसराय	नी रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
28	कुमारी सबिता पति– राजेद्र प्रसाद ग्राम– सुन्दरपुर पो0– खैरी थाना– बजरिया जिला– पूर्वी चम्पारण	हीप रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।

29	सुरज कुमार रजक पिता– विश्वनाथ रजक ग्राम– भागीरथी लेन सुल्तानगंज पो0– महेन्द्रू थाना– सुल्तानगज जिला– पटना	हीप रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
30	मनु कुमार पिता– राधेश्याम पाल ग्राम+पो0+थाना– ब्रह्मपुर जिला– बक्सर	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
31	हीरा देवी पति– शशि भूषण कुमार ग्राम– बरियाही बस्ती पो0– रहुआमणि थाना– बनगाव जिला– सहरसा	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
32	सुरैया सुल्ताना पिता– मो0 एहसान ग्राम– खेताडी मोहल्ला पो0– चौक आरा थाना– आरा जिला– भोजपुर	नी रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
33	अनीश अहमद पिता– लुकमान अहमद ग्राम– महम्मदपुर पो0– भिट्टी थाना– गोरयाकोठी जिला– सिवान	हीप रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
34	टुनटुन कुमार पिता– रामजी महतो ग्राम– बिशुनपुर लखनसेन पो0– रामपुरमीना थाना– बरूराज जिला– मुजफ्फरपुर	ट्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
35	दीप राज पिता– अरविद कुमार ग्राम+पो0– दिग्घी थाना– लक्ष्मीपुर जिला– जमुई	ट्रामा	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत।
36	पप्पु कुमार पिता– शत्रुधन राय ग्राम+पो0+थाना– अगारघाट जिला– समस्तीपुर	ट्रामा	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत।

37	राहुल कुमार यादव पिता– जय प्रसाद यादव ग्राम– दुबौली पो0– एकौना थाना– सिमरी जिला– बक्सर	ट्रामा	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत।
38	राहुल कुमार पिता– दीप नारायण महतो ग्राम– भासर कोरियाही पो0– भासर मछहा थाना– सीतामढी जिला– सीतामढी	ट्रामा	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत।
39	मो0 असरफ खान पिता– मो0 इमान यूसुफ खान ग्राम– मिल्की वार्ड 22 पो0+थाना– पीरो जिला– भोजपुर	ESRD on MHD	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
40	शिवाश कुमारी पिता– अजित कुमार ग्राम– पुरैनिया वार्ड 11 पो0– नेउरा थाना– बिहटा जिला– पटना	कोकलियर इम्प्लाट	4,25,000	चार लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
41	मो0 अहद पिता– शाकिर हुसैन असारी ग्राम– बैरिया ढोढन वार्ड 07 पो0– जगरनाथा थाना– उचकागांव जिला– गोपालगंज	कोकलियर इम्प्लाट	4,25,000	चार लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
42	मीर फिरोज आलम पिता– मीर रहमान ग्राम+पो0– राजनपुर थाना– महिषी जिला– सहरसा	कोकलियर इम्प्लाट	4,25,000	चार लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
43	सनीश कुमार पिता– राहुल चौधरी ग्राम– धुँधुआ पो0– खाधा थाना– एन0टी0पी0सी0 जिला– औरगाबाद	कोकलियर इम्प्लाट	4,25,000	चार लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
44	मो0 मुमताज वारसी पिता– स्व0 मो0 सुभान वारसी ग्राम– मौलाबाग नया टोला पो0+थाना– फुलवारीशरीफ जिला– पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

45	पकज सिन्हा पिता– श्याम किशोर नारायण सिन्हा ग्राम– स/108 गॉधी विहार पुलिस कॉलोनी पो0– अनिसाबाद थाना– गर्दनीबाग जिला– पटना	हृदय रोग Dual Chamber Pacemeker	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
46	गरीबनाथ सहनी पिता– विश्वनाथ सहनी ग्राम– बेदौलिया पो0– मुशहरी फार्म थाना– मुशहरी जिला– मुजफ्फरपुर	Right Incisional hernia	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
47	प्रसान्त कुमार पिता– बिरेन्द्र सिंह ग्राम– सहवाजपुर पो0– आइमा चौकी थाना– खिजरसराय जिला– गयाजी	ASD Closure +- TV Repair	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
48	युवराज कुमार राय पिता– राज कुमार ग्राम– जमीनपुर पो0– पोझी थाना– दरियापुर जिला– सारण	Hodgkin Lymphoma	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
49	सुधा कुमारी पिता– अजय प्रसाद यादव ग्राम– खरका पो0+थाना– पुनौरा जिला– सीतामढी	Kidney Disease (IgAN)	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
50	विकास कुमार पिता– श्री भगवन रजक ग्राम– भदसारी पो0– भादा थाना– बगेगोला जिला– बक्सर	FSGSS	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
51	माधुरी कुमारी पति– उमेश कुमार पाडेय ग्राम– दाढी बढी पो0– बनियापुर थाना– बनियापुर जिला– सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	विदयाशु कुमार चौधरी पिता– दिलीप चौधरी ग्राम+पो0– कसी थाना– सिमरी बाजार जिला– दरभगा	Cerical Decompression and Fixation	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			66,40,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 66,40,000/- (छियासठ लाख चालीस हजार)** के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष",

खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0002628 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 **579310110008985** खाता धारक का नाम–Patient Care Fund **'एम्स, पटना''** खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम– **बैंक आफ इंडिया,** शाखा का नाम **–एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना,बिहार, 801507** RTGS/IFSC कोड स0 BKID 0005793 मे अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**
5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code-SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**
6. **स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।**
7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 976 (14) पटना, दिनाक 9/4/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधंक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0002628...की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई0 टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख 9/4/26

स0स0–14/एम 11–1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
राजेश्वर अस्पताल,
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,
ककडबाग, पटना–800020

पटना, दिनाक.....

विषयः– मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबध मे।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनाक **01.04.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है.–

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	बिभा कुमारी पति– सजय ठाकुर ग्राम+पो0– गोनकुरा थाना– चंडी जिला– नालदा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	रामजी प्रसाद पिता– स्व0 कृष्णा साह ग्राम+पो0– तेजपुरवा थाना– मढौरा जिला– सारण	हृदय रोग सीएबीजी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			₹ 2,30,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,30,000/–(**दो लाख तीस हजार**) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002628 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0– 1499002109000623 खाता धारक का नाम–''राजेश्वर अस्पताल'' खाते का प्रकार–चालू, बैक का नाम– पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम ककडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड स0 PUNBO 149900 में अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

6. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 977(14) पटना, दिनाक 9/4/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0 002628 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/4/26
निदेशक प्रमुख

सं0 स0 14/एम 11–1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
पारस एच0एम0आर आई0 अस्पताल,
राजाबाजार,
पटना– 800014

पटना, दिनाक .. . .

विषयः– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **01.04.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	जगमोहन यादव पिता– फूलदेव यादव ग्राम– मगलपुर पो0– पटनी थाना– रामगढवा जिला– पूर्वी चम्पारण रजि नं0–3000628080	हीप रिप्लेसमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	सुषमा देवी पिता– राम सोगारथ शुक्ला ग्राम– चंदवारा वार्ड 03 पो0+थाना– करताहा जिला– वैशाली यूएचआईडी नं0– 3000593044	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	सफिया प्रवीण पति– नूर आलम ग्राम– फेडरल कॉलोनी हारून नगर पो0+थाना– फुलवारीशरीफ जिला– पटना रजि न0– अंकित नही है।	हृदय रोग वीएसडी	1,35,000	एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	अनिल कुमार पिता–स्व0 मुशी प्रसाद यादव ग्राम+पोस्ट–कोल्हुआ थाना–शंकरपुर जिला–मधेपुरा रजिनं0–3000615024	हृदय रोग पी0 टी0 सी0 ए0	1,35,000	एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।
			4,50,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 4,50,000/–** (**चार लाख पचास हजार**) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002628 .

.द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **16498260000011** खाता धारक का नाम–पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी0एल0, खाते का प्रकार–चालू, बैक का नाम–**एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0,** शाखा नाम–AMBITION SAPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं0– HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. **चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**
5. **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।**
6. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**
7. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**
8. **पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।**
9. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 978(14) पटना, दिनाक 9/4/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0 002628 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, **संबंधित मरीजो को** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/4/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषयः– मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनाक– **01.04.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	घुरनी देवी पति– महेद्र साह ग्राम– पकरिया पो0– रतनसारा थाना– फुलपरास जिला– मधुबनी	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
2	मनोज कुमार पिता– महेंद्र चौहान ग्राम– बिशुनपुर पो0– उत्तरनावा थाना– रहुई जिला– नालदा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	सजिवन कुमार पिता– विजय पासवान ग्राम– उत्तरा पो0– बहेरिया थाना– चडी जिला– नालंदा	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
4	मोहन राय पिता– बालदेव राय ग्राम– मुबारकपुर कृषि फार्म पो0– दानापुर कैट थाना– शाहपुर जिला– पटना	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।

5	सुरेश सिह पिता– स्व0 बाबु लाल सिह ग्राम– पतलापुर पो0– माधोपुर थाना– शाहपुर जिला– पटना	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
6	नीरज कुमार पिता– प्रेमचद प्रसाद चौरसिया ग्राम– धेवरी पो0– बढौना थाना– हिसुआ जिला– नवादा	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
7	प्रमिला देवी पति– सुरेन्द्र कुमार ग्राम+पो0– जोधन बिगहा थाना– बेलछी जिला– पटना	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
8	रोहित कुमार पिता– राजेद्र चौधरी ग्राम– सराय मुहल्ला पो0+थाना– मनेर जिला– पटना	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
9	सगीता देवी पति– मनोज साव ग्राम+पो0– मनोराह थाना– पुनपुन जिला– पटना	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
10	सुबोध सिह पिता– सुभाष प्रसाद सिह ग्राम+पो0– मडाच्छ थाना– तेल्हारा जिला– नालदा	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
11	राम बालक सिह पिता– शिव शकर सिह ग्राम– मालपुर पो0+थाना– खुशरूपुर जिला– पटना	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
12	जाकिर हुसैन पिता– अब्दुर रौफ ग्राम– कारी कोशी बांध पो0– दिलारपुर थाना– मनिहारी जिला– कटिहार	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			17,50,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 17,50,000/– (**सत्रह लाख पचास हजार**) रू0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002628 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर

के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0–39196290026 खाता धारक का नाम–KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार– बैक का नाम– स्टेट बैक आफ इंडिया, शाखा का नाम–एस0बी0आई0 ग्राउड फ्लौर ओजन प्लाजा नीयर आर0पीएस0 मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0011675 मे अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रम्माण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

6. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 979 (14) पटना, दिनाक 9/4/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002628... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/4/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
सर्राफ आर्थो स्पाईन एडं मेटरनीटी
सेंटर नीयर डी0एम0सी0एच0 लहेरिया सराय
दरभंगा–846003

पटना, दिनांक..... ..

विषयः– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक– **01.04.2026** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	मो0 इनामुल पिता– मो0 इब्राहिम ग्राम+पो0– नौडेगा थाना– बिरौल जिला– दरभगा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 1,00,000/–	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/– (**एक लाख**) रू0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0001628 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0–**38022630797** खाता धारक का नाम–**सर्राफ आर्थो स्पाईन एडं मेटरनीटी सेंटर** खाते का प्रकार– बैक का नाम– **स्टेट बैंक आफ इंडिया,** शाखा का नाम–**डी0एम0सी0 कैम्पस दरभंगा,** RTGS/IFSC कोड स0 SBIN0003025 मे अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6 पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।

7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 980 (14) पटना, दिनाक 9/4/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0 002628 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ **सभी संबंधित मरीज को** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख 9/4/26

सं0सं0–14/एम 11–01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
रूबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना–800013

पटना, दिनाक..... ....

विषय– मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **01.04.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:–

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	शर्मिला देवी पति– शशि भूषण तिवारी ग्राम+पो0– बिशुनपुरा थाना– मुफ्फसिल जिला– सारण	AKI Sepsis	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			1,00,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹, 1,00,000/– (**एक लाख**) रू0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 012628. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0–32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम– State Bank of India शाखा का नाम –एस0एम0ई0 ब्राच, डाकबगला रोड, पटना–800001 RTGS/IFSC कोड स0 SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।

4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक**

है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 981(14) पटना, दिनांक 9/4/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं0 202628..की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/सभी संबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/4/26
निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11–1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक/अधीक्षक,
फोर्ड अस्पताल एडं रिसर्च सेंटर (प्रा0) लि0,
रामकृष्णा नगर, पटना– 800027

पटना, दिनांक .. . .

विषय– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनाक **01.04.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	रामनाथ सिंह पिता– राम नरेश सिंह ग्राम+पो0– टिकैतपुर थाना– बिहटा जिला– पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
2	सरिता देवी पति– सत्येंद्र कुमार ग्राम+पो0– भारथु थाना– घोषी जिला– जहानाबाद	हृदय रोग सीएबीजी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
3	धीरज कुमार पिता– सुधीर कुमार सिह ग्राम– तिनेरी पो0– नदौल थाना– मसौढी जिला– पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	प्रमिला देवी पति– गणेश प्रसाद ग्राम– बाढ मसुद बिगहा पो0+थाना– बाढ जिला– पटना	Acute Liver Injury	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
5	सुजीत कुमार पिता– सजय यादव ग्राम+पो0– गैनी थाना– खुदावा जिला– औरंगाबाद	ट्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

6	अशु कुमारी पिता– मुकेश साह ग्राम– कनहर पो0– बभनबारा थाना– जी बी नगर जिला– सिवान	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
7	रोहित राज पिता– श्रवण कुमार ग्राम– नगवां पो0– पुरैरिया थाना– किंजर जिला– अरवल	ट्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
8	नरेश प्रसाद पिता– करूचन्द्र महतो ग्राम+पो0– करजारा थाना– वेन जिला– नालदा	हीप रिप्लेसमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			7,95,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 7,95,000/- **(सात लाख पन्चानवें हजार)** मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 0 0 2 6 2 8 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **31792937290,** खाता धारक का नाम– **फोर्ड हौस्पीटल एडं रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड**, खाते का प्रकार–चालु, बैंक का नाम–**स्टेट बैंक आफ इण्डिया,** शाखा का नाम–**हनुमान नगर पटना,** RTGS/IFSC कोड सं0 **SBIN0009005** मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,**

शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (**RTGS/NEFT**) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।

7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक– 982(14) पटना दिनांक– 9/4/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002628 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को **सभी संबंधित मरीजो के** सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/4/26
निदेशक प्रमुख

स0 सं0 14/एम 11–1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐ
बिहार, पटना

प्रेषक,

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
आस्था लोक हौस्पीटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय,
ककडबाग, पटना 20

पटना, दिनाक . ... .

विषय.– मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध मे।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **01.04.2026** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है–

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	इंदु देवी पिता– उपेंद्र प्रसाद ग्राम+पो0– कैला थाना– सरे जिला– नालदा	Facture shaft Femur Lt.	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
2	इद्राशन देवी पति– मुकेश कुमार शर्मा ग्राम+पो0– मालपुर थाना– पातेपुर जिला– वैशाली	Decompression and Fixation	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
3	महत राउत पिता– किसुन राउत ग्राम– मुंशी बाजार रजीता पो0– पानापुर रंजीता थाना– हरसिद्धी जिला– पूर्वी चम्पारण	non-union Rt Femur	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			1,75,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 1,75,000/–(एक लाख पचहत्तर हजार)** के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002628 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 50200006844472 खाता धारक का नाम–''आस्था लोक अस्पताल एड रिसर्च सेटर प्रा0 लि0''खाते का प्रकार–चालू, बैक का नाम– एच0 डी0 एफ0

सी0 बैक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0– HDFC0000477 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

6. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

7 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ·) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 983(14) पटना, दिनांक 9/4/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002628 .की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/4/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–1/**2026**

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

अधीक्षक,
श्री साईं अस्पताल कंकड़बाग
वेस्ट आफ राजेन्द्र नगर ओवर ब्रीज
कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक . . .

विषय – **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **01.04.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	सयोगा देवी पति– विनोद प्रसाद ग्राम+पो0– अकैड थाना– चंडी जिला– नालदा	Hiatus hernia	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			1,00,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/– (**एक लाख**) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002628 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 **440720110000219** खाता धारक का नाम–''अखिलेश कुमार सिह हौस्पीटल प्रा0 लि0'' खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम– **बैंक आफ इंडिया,** शाखा का नाम **आर0 एन0 कालोनी ब्रांच पटना–16,** RTGS/IFSC कोड स0 BKID0004407 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय**

अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 984(14) पटना, दिनांक 9/4/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0..0026.28....की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को **सभी संबंधित मरीजो के** सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/4/26
निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11–1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
सवेरा कैंसर एडं मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
जीसी 5/जीसी 6,
डा0 आरएन सिह रोड, लौहिया नगर,
कंकड़बाग पटना–20

पटना, दिनाक .. .

विषयः– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनाक **01.04.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्र नांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	नेहा कुमारी पिता– कृष्णा प्रसाद ग्राम– जमालपुर पो0– लारी थाना– कुर्था जिला– अरवल	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	आरती कुमारी पति– चदन कुमार ग्राम– मनपुर कलाई रोड मानपुर गया पो0+थाना– बुनियादगज जिला– गयाजी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	ब्रजेश कुमार राय पिता– सचिदानंद राय ग्राम– टीचर कॉलोनी पो0+थाना– बिहिया जिला– भोजपुर	कैसर रोग	1,60,000	एक लाख साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			3,20,000	

2 उक्त अनुदानं की कुल राशि ₹ 3,20,000/- (**तीन लाख बीस हजार**) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002628 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0–

440720110000498 खाता धारक का नाम– Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार–चालु, बैंक का नाम– **बैंक आफ इंडिया,** शाखा का नाम– राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5 **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

6. **स्वीकृत राषि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।**

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 985(14) पटना, दिनाक 9/4/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0...001628....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई0 टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख 9/4/26

स0 स0 14/एम 11–01 /2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
बुद्वा कैसर सेटर,
नहर रोड, लेफट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना–801503

पटना, दिनाक ...

विषय:– मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध मे।

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **01.04.2026** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:–

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राषि	राषि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	राणा राजीव रजन पिता– स्व0 ब्रजेन्द्र नंदन सिंह ग्राम+पो0– एरई थाना– शाहजहापुर जिला– पटना	कैसर रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,50,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/– (**एक लाख पचास हजार**) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002618 .द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0–36930644306 खाता धारक का नाम–''बुद्वा कैसर सेंटर प्रा0 लि0'' खाते का प्रकार–चालू बैंक का नाम– स्टेट बैक आफ इंडिया, शाखा का नाम– RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।**

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनो के अदर वापस किया जाय।

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।

8. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 986 (14) पटना, दिनाक 9/4/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002629....की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्रमुख 9/4/26

स0सं0'14 / एम–11–1 / 2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
डा0 बीमल अस्पताल एडं रिसर्च सेंटर
(प्रा. लि0) सगुना मोड, बेली रोड
पटना –801503

पटना, दिनांक . ..

विषयः– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक– **01.04.2026** .की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो मे
1	2	3	4	5
1	सॉ प्रियका श्रीप्रसाद पति– किशन कुमार ग्राम+पो0– अईयारा थाना– करपी जिला– अरवल	Lap Cholecystectomy	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
2	लाला राम पिता– काशी राम ग्राम– आनद बाजार वार्ड 05 पो0– दानापुर कैट थाना– दानापुर जिला– पटना	Lap Cholecystectomy	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	बबिता देवी पति– अजित कुमार सिह ग्राम+पो0– गोपालपुर थाना– नयागांव जिला– सारण	Haemorrhoidectomy	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			₹ 90,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 90,000/-** (**नब्बे हजार**) रू0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान / अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002628 .द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान / अस्पताल के खाता सं0– **442820110000158** खाता धारक का नाम–DR. BIMAL HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PVT.LTD खाते का प्रकार–चालु, बैक

का नाम–**बैंक आफ इंडिया,** शाखा का नाम–बोरिंग कनोल रोड, पटना, बिहार–800001 RTGS/IFSC कोड स0 BKID 0004428 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

6. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

7. **स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 987(14) पटना, दिनाक 9/4/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0..002628....की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / **संबंधित मरीजो को** सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/4/26

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
बीग अपोलो स्पेट्रा अस्पताल
शीतला मदिर रोड नीयर सप हाउस
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनाक .....

विषयः– मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक– **01.04.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	घुरनी देवी पति– दिनेश चौधरी ग्राम+पो0– महथा थाना– लदनियॉ जिला– मधुबनी	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	प्रशांत कुमार पिता– उपेंद्र प्रसाद ग्राम+पो0– बबूरवन थाना– परिहार जिला– सीतामढी	ब्रेन सर्जरी/ट्यूमर	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	प्रकाश राम पिता– स्व0 मेघन राम ग्राम– हरिनाथ नगर पो0+थाना– बेगूसराय जिला– बेगूसराय	नी रिप्लेसमेट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			2,60,000	

2 उक्त अनुदानं की कुल राशि **₹ 2,60,000/– (दो लाख साठ हजार)** के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002628 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0–1714354694 खाता धारक का नाम–"BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार–चालू, बैक का नाम– कोटक महिन्द्रा बैक,(गाधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं0– KKBK0000351 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

6. **स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।**

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 988 (14) पटना, दिनांक 9/4/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002628 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
9/4/26

स0स0–14/एम 11–1/**2026**

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
ऑक्सीजन ट्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हरार ब्रीज, पटना–800007

पटना, दिनाक . . .

विषयः– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **01.04.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	**मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या**	**बीमारी का नाम**	**अनुदान की राशि**	**राशि शब्दो में**
1	2	3	4	5
1	रेनू देवी पति– सायमदन राय ग्राम– बावनघाट पो0– अदलपुर थाना– महुआ जिला– वैशाली	ट्रामा सर्जरी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	प्रीति कुमारी पति– प्रेमचन्द गुप्ता ग्राम+पो0– लखना थाना– गौरीचक जिला– पटना	ट्रामा सर्जरी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	गायत्री देवी पति– राम बालक दास ग्राम– जलवा टोली मोगलपुरा पो0– झाउगज थाना– खॉजेकला जिला– पटना	ट्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	हर्ष कुमार पिता– सुरेद्र कुमार ग्राम– आर ब्लॉक ईस्ट गार्डिनर पो0– जी0पी0ओ0 थाना– कोतवाली जिला– पटना	ट्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			2,85,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 2,85,000/– (**दो लाख पचासी हजार**) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 012628 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0– **33569032861** खाता धारक का नाम–"**ऑक्सीजन ट्रामा एडं मल्टीस्पेश्लीटी अस्पताल** " खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम– **स्टेट बैंक आफ इण्डिया,** शाखा का नाम –**गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना** RTGS/IFSC कोड स0 SBIN 0001496 में अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

6. **पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।**

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 989 (14) पटना, दिनाक 9/4/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक स0...012628...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/सभी सबधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/4/26
निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11–1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

अधीक्षक,
होमी भाभा कैसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेटर एस0के0एम0 सी0 एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर–842004

पटना, दिनाक. . .....

विषय – मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबध मे।

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **01.04.2026** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	रेनू देवी पति– विक्रम कुमार विभूति ग्राम+पो0– अमरपुर थाना– बरौनी जिला– बेगूसराय केस फाईल न0– 19एफ2025/005541	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	कलेश्वरी देवी पति– यदु यादव ग्राम– विशनपुर पो0– जखार थाना– रोसडा जिला– समस्तीपुर केस फाईल न0– 19एफ2026/000991	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	इदु देवी पति– लखीद्र महतो ग्राम– नवादा पो0– दाउदनगर थाना– वैशाली जिला– वैशाली केस फाईल न0– 19एफ2025/003154	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	कपिल देव सिह पिता– सत प्रसाद ग्राम– खेमकरण सराय पो0+थाना– कुर्था जिला– अरवल केस फाईल न0– 19एफ2026/000912	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मास्टर केशव कुमार पिता– ब्रह्मा कुमार ग्राम– बसहिया शैख पो0+थाना– पिपराही जिला– शिवहर केस फाईल न0– 19एफ2026/001432	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	ममता देवी पति– परमेश्वर साह ग्राम+पो0– रतनपुर थाना– कमतौल जिला– दरभंगा केस फाईल न0– 19एफ2026/000838	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	सुषमा कुमारी पति– रामाचल सिह ग्राम– रिवर वैली डुमरा रोड पेट्रोल पम्प के पीछे पो0+थाना– सीतामढी जिला– सीतामढी केस फाईल नं0– 19एफ2026/000601	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	ललन कुमार झा पिता– स्व0 मोहन झा ग्राम– न्यू कॉलोनी एसडीओ क्वाटर वार्ड 08 पो0+थाना– सहरसा जिला– सहरसा केस फाईल नं0– 11 एफ 2025/018013	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	मंजु देवी पति–सोहन कुमार ग्राम–बिनोदपुर पो0–बिनोदपुर थाना–सिंघौल ओ0पी0 जिला–बेगुसराय केस फाइल न0– सी0पी0/33859	कैसर रोग	70,000	सतर हजार स्वीकृत।
			7,30,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,30,000/- (**सात लाख तीस हजार**) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 00 LG 28 ..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0–TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम–"होमी भाभा कैसर हौस्पीटल,एड रिसर्च सेटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम–एच0डी0एफ0सी0 बैक लि0, शाखा का नाम– RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC 0000084 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ.) माह होगी।

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन
ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 990(14) पटना, दिनांक 9/4/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0. 022628 ....की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/4/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
मेडिवर्सल सुपर स्पेश्लीटी अस्पताल,
(यूनिट आफ मेडिवर्सल हेल्थकेयर प्रा0 लि0)
डाक्टर कोलनी 90 फीट रोड,
कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक . ...

विषय– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक– **01.04.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजं को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	नगीना देवी पति– कुशेश्वर साह ग्राम– सैदपुर महुआ वार्ड 09 पो0+थाना– महुआ जिला– वैशाली	हृदय रोग पीटीसीए	1,35,000	एक लाख पैंतिस हजार स्वीकृत।
2	समीमा खानम पति– मो0 फारूक खान ग्राम– देवना पो0– तिलरथ थाना– बरौनी जिला– बेगूसराय	ब्रेन सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			1,95,000/–	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 1,95,000/– **(एक लाख पन्चानवे हजार)** के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002628 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0–**00030400000914** खाता धारक का नाम–"Mediversal Health Care Pvt. Ltd खाते का प्रकार–चालू, बैक का नाम– **बैंक आफ बड़ौदा,** शाखा का नाम **पटना मेन ब्रांच, पटना** RTGS/IFSC कोड सं0 BARBOPATNAX मे अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**
5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code-SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**
6. **स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।**
7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक, प्रमुख

ज्ञापाक 991(14) पटना, दिनाक 9/4/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002628 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/4/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक . . . . . .

विषय– मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध मे।

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनाक **01.04.2026** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमाक	मरीज का नाम एव पता तथा अस्पताल की निबधन सख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो मे
1	2	3	4	
1	तेतर पडित पिता– जनक पडित ग्राम+पो0– कन्हौली थाना– खजौली जिला– मधुबनी	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	बन्टी कुमार मडल पिता– अधिक लाल मडल ग्राम– मिरचाईबाडी शीतल स्थान कटिहार पो0– कटिहार थाना– सहायक जिला– कटिहार	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	धर्मेद्र कुमार पिता– शिवशकर पडित ग्राम– कन्नौज पो0– रझत थाना– अकबरपुर जिला– नवादा	हृदय रोग एमभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	मनजूर आलम पिता– ईलताफ हुसैन ग्राम– बेतबारी पो0+थाना– बहादुरगज जिला– किशनगज	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	चन्दन कुमार पिता– बृजनदन प्रसाद ग्राम– महलपर पो0+थाना– बिहारशरीफ जिला– नालंदा	हृदय रोग एभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	ज्योति देवी पिता– महेश माझी ग्राम– अटौआ पो0– गोवाना थाना– कादिरगंज जिला– नवादा	हृदय रोग एमभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			5,60,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,60,000/– (**पाँच लाख साठ हजार**) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002628 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0– 50200060079860 खाता धारक का नाम– Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम– HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम– , RTGS/IFSC कोड स0 HDFC0000477 मे अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।

8. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 992(14) पटना, दिनाक 9/4/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0..002628... की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/4/26
निदेशक प्रमुख

सं0 स0 14/एम 11–1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा0 लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
ककडबाग, पटना–20

पटना, दिनाक..... .....

विषय– "**मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **01.04.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है–

क्र0 सं0	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	नरेद्र राय पिता– विश्वनाथ राय ग्राम+पो0– गुलजारपुर थाना– सहार जिला– भोजपुर	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	सुशीला देवी पति– युगल राम ग्राम– नोनिया बिगहा पो0– डिहरा थाना– ओबरा जिला– औरगाबाद	हृदय रोग डीभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
3	बीरेद्र प्रसाद सिन्हा पिता– स्व0 अम्बिका प्रसाद सिन्हा ग्राम– चिरैयातर टी0 न पथ पो0– जी0पी0ओ0 थाना– ककडबाग जिला– पटना	हृदय रोग पीटीसीए	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			3,85,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,85,000/– **(तीन लाख पचासी हजार)** रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता स0– 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002628 ...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 30002849889 खाता धारक का नाम–"HEART HOSPITAL LTD. **कंकड़बाग पटना 20"** खाते का प्रकार– चालू, बैक

का नाम–एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम.. . . ..RTGS/IFSC कोड स0 SBIN 0004445 मे अतरित किया जाता है।

3. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।**

4 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7. **स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।**

8. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 993(14) पटना, दिनांक 9/4/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक स0 00.26.28 .की कुल राशि का अतरण उपरोक्त की कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख 9/4/26

स0स0'14/एम–11–1/**2026**

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
Holy Promise Hospital
(Aunit of Holy promise Multispeciality Hospital Pvt. Ltd.),
East Patel Nagar, Near Gandhi Murti
Patna- 800023

पटना, दिनांक. .. ..

विषय.– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **01.04.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	अनुदान की राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	गीता देवी पति– राम सुरेश राम ग्राम– जोंका पो0– कोइली थाना– बथनाहा जिला– सीतामढी	FESS+ Saptoplasty + Turbinoplasty Surgery	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			₹ 60,000/-	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000/– (साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002628 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0– **37191679317**, खाता धारक का नाम– **HOLY PROMISE MULTISPECIALITY HOSPITAL PVT. LTD,** खाते का प्रकार– **CURRENT ACCOUNT**, बैक का नाम– **STATE BANK OF INDIA**, शाखा का नाम–, RTGS/IFSC कोड स0 **SBIN0018099** मे अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनो के अदर वापस किया जाय।

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

8. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ·) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 995(14) पटना, दिनाक 9/4/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002628 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/4/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
वेदान्ता सेटर फार अफ्थैलमिक साईस,
II Floor लीजेन्ड प्लाजा,
नीयर पासपोर्ट आफिस
आशियाना दीघा रोड,
पटना –800014

पटना, दिनाक–

विषय– मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबध मे।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनाक **01.04.2026** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	कान्ती देवी पति– काशीनाथ पाडेय ग्राम– जनकपुरी हसनपुरा विधा नगर पो0+थाना– बेउर जिला– पटना	नेत्र रोग सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			75,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 75,000/– (पचहत्तर हजार)** रू0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 002628 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 440030110000048 खाता धारक का नाम–"वेदान्ता सेटर फार अफ्थैलमिक साईस " खाते का प्रकार–चालु बैक का नाम–बैक आफ इंडिया, शाखा का नाम–पटना मेन ब्राच, फ्रेजर रोड, पटना RTGS/IFSC कोड स0 BKID 0004400 मे अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनो के अदर वापस किया जाय।
6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**
7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**
8. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 996 (14) पटना, दिनाक 9/4/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0.. 002628 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/4/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11– 01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

रजीव सिन्हा
पिता– इदु भूषण रॉय
ग्राम– खजाची रोड नया टोला नीम तल गली
पो0– बाकीपुर
थाना– पीरबहोर
जिला– पटना
पिनकोड– 800004

पटना, दिनांक .....

विषय:– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनाक **01.04.2026** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	रजीव सिन्हा पिता– इदु भूषण रॉय ग्राम– खजाची रोड नया टोला नीम तल गली पो0– बाकीपुर थाना– पीरबहोर जिला– पटना पिनकोड– 800004	Post Kıdney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प सख्या– 213(14), दिनाक–30 01 2024 के आलोक मे)
			रू0 1,08,000/–	

2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/–(एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**, खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 ..002628.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके खाता सं0– **43097150409,** खाता धारक का नाम– **RANJEEV SINHA,** खाते का प्रकार– **REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT**, बैक का नाम– **STATE BANK OF INDIA,** शाखा का नाम– **RAJENDRANAGAR, IFSC** कोड स0– **SBIN0001662** मे अतरित किया जाता है।

3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद मे राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1014(14) पटना, दिनाक 9/4/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0. 002628 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/4/26

निदेशक प्रमुख

• Do not install any app on the

• SMS sent by SBI will always bear Sender ID as SBI or SB
e.g. SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI

Call our helpline numbers for assistance:
1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

to phishing@sbi.co.in or call on the cybercrime helpline number 1930.

https://bank.sbi/web/personal-banking/cyber-security

SBI भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

A/C → 43097150409

Branch: RAJENDRANAGAR (PATNA) Code: 1662
RAJENDRANAGAR

Email:sbi.01662@sbi.co.in
Phone No.: 9113118776
IFSC: SBIN0001662

Buss. Hrs:10:00:00-16:00:00
MICR: 800002040

Mr. [redacted] Sinha
[redacted] BHUSHAN ROY
[redacted] 41168391499
[redacted] 43097150409
[redacted] REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT
[redacted] Md. Bhushan Roy, Khazanchi Road, d
[redacted] BAVA Bela guru dwara gali.
[redacted] Patna

[redacted]@gmail.com
[redacted]

MOP: SINGLE
A/c Opening Dt: 28/06/2024
Nom Reg No: 000000046855295
Customer's PAN:
Date of Issue: 29/06/2024
FIRST
Post Code: 80
Sr. Citz Flag:

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank Of India

(01662)-RAJENDRANAGAR (PATNA)
RAJENDRANAGAR
DINKAR CHAWRAH, ARYA KUMAR ROAD,PATNA, BIHAR 800016
Tel : 612 2563147 Fax : IFS Code : SBIN0001662 SWIFT :

PAY

RUPEES

अदा करें

43097150409

VALID UPTO ₹ 10 LACS AT NON-HOME BRANCH FOR NON-CASH TRANSACTION ONLY

90405179034

SB ACCOUNT

PREFIX :
1516200062

MULTI-CITY CHEQUE Payable at Par at All Branches of SBI

Mr. Ranjeev Sinha

"940888" 800002040: 019631" 31